

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2024/ 186

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 21.01.26

अप्रार्थीगण

1 प्रभुराम पुत्र नवलाराम जाति
कुम्हार निवासी गोरधन नगर
तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

1 कुम्भाराम पुत्र होलाराम 2 मंशा पुत्र नवलाराम जाति
कुम्हार 3 छगनी देवी पत्नि मुल्तानसिंह रावणा राजपूत
निवासी गोरधन नगर 4 पुनमाराम 5 खरथाराम पिसरान
गोमदाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर 6 तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-443/2025 दिनांक- 09/01/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोरधन नगर पटवार क्षेत्र हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

के खसरा संख्या 520/288 रकबा 2.6616 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.
08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 21.01.26

क्रमांक :- रीडर/2025/ 187 - 190
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अमराराम प्रभुराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी गोरधन नगर तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कुम्भाराम पुत्र होलाराम वगैरह जाति जाट निवासी गोरधन नगर तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

